





न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्रमांक	फर्द अहकाम	
	<p>क्र. नं० 12/17 तारीख रज् 24-3-17</p> <p>उपवान - मोहन लखाम (मोहन सिंह केजे० करौली)</p> <p>प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेधाजा</p> <p>प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल A.V. के प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेधाजा पेश किया। प्रस्तुत जमाबन्दी व शाप पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जन को नोटिस से तालक कर दिनांक 3-4-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) </p>	<p>1049-50 24.3.17</p>
	<p>3.4.17</p> <p>प्रार्थी वकील उप। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से श्री अमर सिंह केजे० A.V. उपस्थित हो कर बकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 2 के पैरोबा लखण उप। वस्ति जम्बक पेश करने दि. 11.4.17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
	<p>11.4.17</p> <p>वकुलाय उप। वस्ति जम्बक दि. 19.4.17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
	<p>19.4.17</p> <p>वकुलाय उप। जम्बक पेश करने पुनः समय पाहा मौदा दिया गया। दिनांक 17.5.17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-कर्ना

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

26.02.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं। बार-बार अज्ञात दिलाई गई उसके बावजूद कोई उपस्थित नहीं की। समय तक इंजार् किया कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए प्रार्थी का ~~दस्तावेज~~ प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेद्याला धारा 212 अरुम पैरवी अरुम टाजरी में स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल सुमार दीकर नम्बर से कम दाखिल दफतर है।

(Handwritten signature)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला-कर्नाली